भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 679

दिनांक 29.04.2015/9 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

डीटीसी बसों द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन

679. श्री राम कुमार कश्यप:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीटीसी बसें 'ब्लू लाइन' जैसे चल रही है और दिल्ली में इन बसों द्वारा 2014 में 40 से अधिक व्यक्ति और 2015 में आज की स्थिति के अनुसार 10 लोग मारे गए हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि डीटीसी के चालकों द्वारा यातायात नियमों के उल्लं्घन के मामले लगातार बढ रहे हैं और बसों में गति नियंत्रक लगाए जाने के बावजूद चालकों द्वारा गति सीमा का उल्लंघन करना आम शिकायत है और यातायात नियमों के गंभीर उल्लंघर के परिणाम स्वरूप दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा 100 से भी अधिक बसें जब्त की गई हैं; और

(ग) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा दोषी डीटीसी बस चालकों पर लगाम करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी**)

(क): जी, नहीं। विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान दिनांक 31.03.2015 तक डीटीसी की बसों से दिल्ली में हुई सड़क दुर्घटनाओं के ब्यौरे से, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है, कमी का रुझान दिखाई देता है:

वर्ष	कुल दुर्घटना	घायल व्यक्ति	मारे गए व्यक्ति
2012	225	218	63
2013	224	168	63
2014	186	164	40
2015 (31.03.2015 तक)	39	26	12

यह भी उल्लेखनीय है कि दुर्घटनाओं की कम संख्या के कारण, वर्ष 2010, 2011, 2012 और 2013 के लिए डीटीसी ने एएसआरटीयू और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला सड़क सुरक्षा संबंधी न्यूनतम दुर्घटना पुरस्कार जीता।

(ख): विगत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान (31.03.2015 तक) दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा काटे गए यातायात नियमों के उल्लंघन संबंधी चालानों और डीटीसी बसों की जब्ती की संख्या में निरंतर कमी का रूझान दिखाई दे रहा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

अवधि	जब्त बसों की कुल संख्या
2013	522
2014	268
2015 (31.03.2015 तक)	44

डीटीसी ने अपने चालकों के बीच अनुशासन एवं सुरक्षित ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं, जिसके लाभदायक परिणाम हासिल हुए हैं, क्योंकि बसों की जब्ती की संख्या में कमी आई है।

(ग): डीटीसी चालकों द्वारा किए जाने वाले यातायात नियमों एवं विनियमों के उल्लंघन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा दोषी डीटीसी चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से आवश्यक अभियोजन चलाया जाता है। इसके अतिरिक्त, डीटीसी चालकों को शिक्षा प्रदान करने और उन्हें सड़क सरुक्षा, यातायात अनुशासन एवं दिल्ली की सड़कों पर यातायात नियमों एवं विनियमों के अनुपालन के महत्व के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा समय-समय पर उनके लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

*****